

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302006)
email: sec@rajasthan.gov.in, fax: 0141 2327060, 2327072

क्रमांक: एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/4187

दिनांक 01.07.2026

जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका)
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:- नगरीय निकाय आम चुनाव की निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में राज्य की 196 नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.04.2026 को तथा 113 नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.05.2026 को किया गया। आयोग द्वारा जारी आदेश के क्रम में झुंझुनू जिले की नगरपालिका सूरजगढ़ एवं बाडमेर जिले की नगरपरिषद बाडमेर का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.06.2026 को किया जा चुका है। अंतिम प्रकाशन की उक्त तिथियों के पश्चात् से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली को निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् पूरक-2 तैयार की जागी है।

राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17, 17-ए एवं 18 में निर्वाचक नामावली को निरन्तर अद्यतन करने के संबंध में प्रावधान अंकित है। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10(6) के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन नामावली को किसी भी प्रविष्टि को संशोधित, अभिगृहीत (Transposition) या लोपित नहीं किया जाएगा। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उक्त नियमों के अधीन विधिक बाध्यताओं की पालना कर नामावली को अद्यतन किया जा सकता है, इसके पश्चात् नहीं।

निर्वाचक नामावली को निरन्तर अद्यतन करने के दौरान प्राप्त आवेदन के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 6769 दिनांक 15.10.2015 (प्रति-संलग्न) के द्वारा निर्देश प्रदान किए हुए हैं कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को निस्तारित किया जाए। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् नाम जोड़ने/हटाने/शुद्ध किए नामों की एक पृथक सूची पूरक-2 तैयार की जाएगी।

निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आवेदनों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार निस्तारित करने के पश्चात् उन्हें ई-सूची पर प्रविष्टि कर पूरक-2 तैयार की जाएगी। ई-सूची सॉफ्टवेयर पर पीडीएफ फ़ैक्ट्री में पूर्व में उपलब्ध विकल्पों के अतिरिक्त दो विकल्प (Supplementary-2 एवं Final with Supplementary-2) और उपलब्ध कराए हैं। Supplementary-2 के अन्तर्गत सिर्फ निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान जोड़े, हटाए एवं संशोधित किए गए नामों की सूची उपलब्ध होगी, जबकि Final with Supplementary-2 में अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के साथ पूरक-2 भी उपलब्ध होगी। निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियां तैयार करने हेतु Final with Supplementary-2 में उपलब्ध निर्वाचक नामावली का ही उपयोग किया जाए।

अतः नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों को निरन्तर अद्यतन रखने के लिए उक्तानुसार समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समुचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा है कि निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक समीक्षा करें एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया का स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाकर आमजन की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/4188-93

दिनांक 01.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंधक (आई.टी.), मैसर्स REIL, जयपुर।
6. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

(रुचि अग्रवाल)
उप विधि परामर्शी

राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/6769

दिनांक : 15/10/11

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- नगरपालिका चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में।

महोदय,

नगरपालिका चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की जाती है। उक्त आदेशों के अधीन तैयार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन रखे जाने हेतु खण्ड 17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने एवं संशोधित किए जाने तथा खण्ड 17ए में नाम हटाने के प्रावधान उपलब्ध है। खण्ड 17 में नाम जोड़ने/संशोधित किए जाने हेतु आवेदक का नाम 3 पूर्ण दिवस (3 Clear days) तक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित रखा जाना आवश्यक है। नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नाम पर यदि कोई आक्षेप प्रस्तुत होता है तो उसे भी निस्तारित करना होता है। इसी प्रकार खण्ड 17ए में नाम हटाए जाने के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आक्षेप/सुनवाई का समय दिए जाने हेतु विधिक बाध्यता है। उक्तानुसार विधिक बाध्यताओं की पालना हेतु आवेदन प्राप्ति के पश्चात् उनके निस्तारण हेतु समय की आवश्यकता रहती है।

राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17(3) में यह तो अंकित है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नाम जोड़ने एवं संशोधन के आदेश नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि तक जारी किए जा सकते हैं, किन्तु इस संबंध में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है कि किस तिथि तक प्राप्त किए गए आवेदनों को निस्तारित किया जाए, क्योंकि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इस हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए निस्तारित किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन करने की प्रक्रिया में नाम जोड़ने/संशोधन/हटाने हेतु आवेदन को कतिपय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त करने से इन्कार करने की सूचना भी आयोग को प्राप्त होती है, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है। अतः आवेदन प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदनों के विधिवत निस्तारण के लिए प्रशासनिक कारणों (Administrative Reasons) से आयोग यह निर्देश देता है कि :-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को प्राप्त करने से किसी भी दशा में इन्कार नहीं करेंगे।
2. प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में विधिक अपेक्षाओं की पालना सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि राजस्थान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17 एवं 17ए के अन्तर्गत नाम जोड़ने/संशोधित करने/हटाने हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक निस्तारित किया जावे।

आज्ञा से,

20.10.11
(अशोक कुमार जैन)
सचिव